



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16102024-257952  
CG-DL-E-16102024-257952

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4153]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 15, 2024/आश्विन 23, 1946

No. 4153]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 15, 2024/ASVINA 23, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 2024

का. आ.4517(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि आंध्र प्रदेश राज्य के प्रकाशम् जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 565 के कि.मी. 261.700 से कि.मी.267.200 (कासीरेड्डी नगर से कोथुरु खंड) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् जॉइंट कलेक्टर, प्रकाशम् को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

### अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के प्रकाशम् जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 565 के कि.मी. 261.700 से कि.मी.267.200 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश			जिले का नाम: प्रकाशम्		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: कनिगिरि					
गांव का नाम: कनिगिरी					
1	536/2	निजी (पट्टा)	ड्राय	1012 (वर्ग मीटर)	0.1012
2	564/2	निजी (पट्टा)	वेट	42 (वर्ग मीटर)	0.0042
3	604	निजी (पट्टा)	वेट	162 (वर्ग मीटर)	0.0162
4	605/2	निजी (पट्टा)	वेट	202 (वर्ग मीटर)	0.0202
5	606/1A	निजी (पट्टा)	वेट	121 (वर्ग मीटर)	0.0121
6	610/2B2	निजी (पट्टा)	वेट	41 (वर्ग मीटर)	0.0041
7	613/2B	निजी (पट्टा)	वेट	41 (वर्ग मीटर)	0.0041
8	614/1	निजी (पट्टा)	ड्राय	40 (वर्ग मीटर)	0.004
9	659/1	निजी (पट्टा)	वेट	1255 (वर्ग मीटर)	0.1255
10	659/2B	निजी (पट्टा)	वेट	364 (वर्ग मीटर)	0.0364
11	659/3B	निजी (पट्टा)	वेट	445 (वर्ग मीटर)	0.0445
12	659/4	निजी (पट्टा)	वेट	202 (वर्ग मीटर)	0.0202
13	659/5	निजी (पट्टा)	वेट	445 (वर्ग मीटर)	0.0445
14	659/6	निजी (पट्टा)	वेट	445 (वर्ग मीटर)	0.0445
15	660/1	निजी (पट्टा)	वेट	40 (वर्ग मीटर)	0.004
16	699/2	निजी (पट्टा)	वेट	607 (वर्ग मीटर)	0.0607
17	700/2A	निजी (पट्टा)	वेट	1174 (वर्ग मीटर)	0.1174
18	701/1A	निजी (पट्टा)	ड्राय	40 (वर्ग मीटर)	0.004

19	703/2B	निजी (पट्टा)	बेट	82 (वर्ग मीटर)	0.0082
20	711/A1	निजी (पट्टा)	बेट	40 (वर्ग मीटर)	0.004
21	794/2	निजी (पट्टा)	ड्राय	202 (वर्ग मीटर)	0.0202
<b>कुल योग</b>					<b>0.7002</b>

[फा. सं. Rc.G1/NH-565/2582/2014/3A]

अभय जैन, निदेशक

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th October, 2024

S.O. 4517(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of **NH-565** in the stretch of land **from Km. 261.700 to Km. 267.200 (Kasireddy nagar to Kothuru Section)** in the **district of PRAKASAM** in the state of ANDHRA PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, **Joint Collector, Prakasam** in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

**SCHEDULE**

**Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH-565 in the stretch of land from Km. 261.700 to Km. 267.200 in the district of PRAKASAM in the state of ANDHRA PRADESH**

<b>State: ANDHRA PRADESH</b>			<b>District: PRAKASAM</b>		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
<b>Taluk: Kanigiri</b>					
<b>Village: Kanigiri</b>					
1	536/2	Private (Patta)	Dry	1012 (Square Meter)	0.1012

2	564/2	Private (Patta)	Wet	42 (Square Meter )	0.0042
3	604	Private (Patta)	Wet	162 (Square Meter )	0.0162
4	605/2	Private (Patta)	Wet	202 (Square Meter )	0.0202
5	606/1A	Private (Patta)	Wet	121 (Square Meter )	0.0121
6	610/2B2	Private (Patta)	Wet	41 (Square Meter )	0.0041
7	613/2B	Private (Patta)	Wet	41 (Square Meter )	0.0041
8	614/1	Private (Patta)	Dry	40 (Square Meter )	0.004
9	659/1	Private (Patta)	Wet	1255 (Square Meter )	0.1255
10	659/2B	Private (Patta)	Wet	364 (Square Meter )	0.0364
11	659/3B	Private (Patta)	Wet	445 (Square Meter )	0.0445
12	659/4	Private (Patta)	Wet	202 (Square Meter )	0.0202
13	659/5	Private (Patta)	Wet	445 (Square Meter )	0.0445
14	659/6	Private (Patta)	Wet	445 (Square Meter )	0.0445
15	660/1	Private (Patta)	Wet	40 (Square Meter )	0.004
16	699/2	Private (Patta)	Wet	607 (Square Meter )	0.0607
17	700/2A	Private (Patta)	Wet	1174 (Square Meter )	0.1174
18	701/1A	Private (Patta)	Dry	40 (Square Meter )	0.004
19	703/2B	Private (Patta)	Wet	82 (Square Meter )	0.0082
20	711/A1	Private (Patta)	Wet	40 (Square Meter )	0.004
21	794/2	Private (Patta)	Dry	202 (Square Meter )	0.0202
<b>Total</b>					<b>0.7002</b>

[F. No. Rc.G1/NH-565/2582/2014/3A]

ABHAY JAIN, Director